

क्रमांक: एफ. 7 (4) प्रवेशनीति/अकाद/आकाशि/2023/123 दिनांक 27 जून, 2023
प्राचार्य,
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान

विषय :-राजकीय महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिए अधिकाधिक आवेदकों को जानकारी उपलब्ध कराने बाबत।

संदर्भ:- आदेश संख्या एफ. 7 () प्रवेशनीति/अकाद/आकाशि/2023/122 दिनांक 26 जून, 2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं संदर्भित आदेश के क्रम में स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश प्रक्रिया दिनांक 28 जून, 2023 से प्रारम्भ की जा रही है। आवेदकों को राजकीय महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु जानकारी का प्रचार-प्रसार करने के लिए स्थानीय समाचार पत्रों, स्थानीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, महाविद्यालय सूचना पट्ट, महाविद्यालय वेबसाइट, पैम्फलेट इत्यादि साधनों का उपयोग किया जाना है।

नवीन खुले महाविद्यालयों के नोडल अधिकारी एवं प्रवेश प्रभारी अधिक से अधिक आवेदकों को प्रवेश के लिए जानकारी प्रदान करने के लिए उपरोक्त प्रचार-प्रसार साधनों का उपयोग करते हुए स्थानीय विद्यालयों में सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करेंगे।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निजी सचिव, आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव अतिरिक्त आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, आयोजना, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर
4. वेब प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर को अपलोड करने हेतु।

Signature valid

संयुक्त निदेशक (अकादमिक)
Digitally signed by S. Mahan
Designation: Professor
Date: 2023.06.27 18:51 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 4147477

